

हिमाचल में फिर होगी आफत की बारिश

21-22 जुलाई को चंबा-कांगड़ा समेत पांच जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

भारतेन्दु संवाददाता, अनिल कुमार शर्मा, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौनसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने इस सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 21 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में तथा 22 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन दो दिनों के दौरान प्रदेश के बाकी सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार यह इस मौनसून सीजन में पहली बार है, जब हिमाचल के लिए बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मौनसूनी प्रणाली के प्रभाव से अगले कई दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। 24 जुलाई के लिए येलो अलर्ट, जबकि



19, 20 और 23 जुलाई के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग की चेतावनी के बीच शुक्रवार रात कांगड़ा और चंबा जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। सबसे अधिक 137 मिलीमीटर बारिश धर्मशाला एडब्ल्यूएस केंद्र में दर्ज की गई। इसके अलावा चंबा जिले के जोत में 109 मिलीमीटर, कांगड़ा में 77.4 मिलीमीटर, धर्मशाला में 65.5 मिलीमीटर और पालमपुर में 38

मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कांगड़ा और जोत क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने की घटनाएं भी दर्ज की गईं।

खास बात यह रही कि कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में इस मौनसून सीजन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर तेज बारिश हुई। शनिवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब बना रहा। शिमला में सुबह से बादल छाए रहे। पिछले कुछ दिनों से शिमला सहित मध्य और

निलंबन आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे विजय, सरकार और डीजीपी से मांगा जवाब

भारतेन्दु संवाददाता, अनीश सूद, शिमला। निरीक्षक विजय कुमार ने अपने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने सिविल रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी संख्या 11931/2026) के माध्यम से दावा किया है कि उन्होंने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है और उनकी भूमिका पूरी तरह सद्भावनापूर्ण रही है।

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकलपीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 31 जुलाई, 2026 को निर्धारित की गई है। निरीक्षक विजय कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव जीवन ने पेश्वी की। उनके साथ अधिवक्ता युग सिंघल और हितेन्द्र वर्मा भी उपस्थित रहे।

सतलुज फिल्म विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले का शांडिल्य ने किया स्वागत

पंजाब की एकता और भाईचारा सर्वोपरि

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला। एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सतलुज फिल्म को रलीज करने की सुनवाई को इंकार कर दिया जो हाईकोर्ट का फैसला पंजाब की अमन और शांति के लिए एक अहम कदम है। वीरेश शांडिल्य ने कहा सतलुज फिल्म पर लागू रोक को हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया।

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाबी सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफार्म पर दिखाने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ का सतलुज फिल्म पर सुनवाई न करके और याचिकाकर्ता को किसी किस्म की राहत न देते हुए पंजाब को अमन और शांति की



तरफ बढ़ाने का काम किया। वीरेश शांडिल्य ने कहा एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया लगातार जसवंत सिंह खालड़ा पर आधारित फिल्म सतलुज का विरोध कर रहा है और लगातार इस फिल्म को न चलने को लेकर मुहिम छेड़ रहे हैं।

वीरेश शांडिल्य ने कहा कि यदि दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज पंजाब में आतंकवाद फैलाने की साजिश है यदि केंद्र सरकार ने इस फिल्म पर लगाए रोक को हटाय़ा तो उनका संगठन एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगा। वीरेश शांडिल्य ने कहा इससे पहले भी 2004 व 2008 में पंजाब के पूर्व

मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतर सिंह हव्वारा व परमजीत सिंह भ्यूरा के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। वीरेश शांडिल्य ने कहा सतलुज फिल्म की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने इंकार कर पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की नहीं बल्कि पूरे देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया और संविधान को संरक्षण दिया।

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा सतलुज फिल्म पंजाब में आतंकवाद लाने की विदेशों ताकतों की और पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है और पंजाब में हिन्दू सिख भाईचारे को लड़वाने के लिए इस फिल्म को खालीस्तानी व कट्टरपंथी पंजाब में सतलुज फिल्म चलवाना चाहते हैं लेकिन एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया खालीस्तानियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा।

शिक्षा बोर्ड में जुब्बल-कोटखाई के 8 लोगों की बैकडोर भर्ती, पूरे हिमाचल के युवाओं के साथ अन्याय: विनोद

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक विनोद कुमार ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में हुई कथित बैकडोर भर्ती को लेकर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ खुला अन्याय किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले पांच लाख रोजगार और पहले वर्ष में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज युवाओं को पारदर्शी भर्ती के बजाय भाई-भतीजावाद और बैकडोर नियुक्तियां देखने को मिल रही हैं।

उन्होंने कहा कि धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में सेवा समिति के माध्यम से चार डाटा एंट्री ऑपरेटर और चार चपरासी के कुल आठ पद भरे गए, लेकिन न तो इन पदों का कोई सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया गया और न ही योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए। उन्होंने आरोप



विधायक बोले- बैकडोर भर्ती की उच्चस्तरीय हो जांच

लगाया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को गुपचुप तरीके से पूरा कर दिया गया। विनोद कुमार ने कहा कि सबसे गंभीर तथ्य यह है कि आठों नियुक्तियों शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र जुब्बल-कोटखाई के लोगों को दी गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में योग्य युवा केवल जुब्बल-कोटखाई में ही थे? क्या शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, किन्नौर और लाहौल-

स्पीति के बेरोजगार युवा इन पदों के योग्य नहीं थे? उन्होंने कहा कि यह भर्ती पूरी तरह पक्षपातपूर्ण प्रतीत होती है और इससे प्रदेश के लाखों शिक्षित युवाओं का भर्ती प्रक्रिया से विश्वास उठ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा बोर्ड प्रशासन और आउटसोर्स एजेंसी की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियों की गई हैं।

विनोद कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू से मांग की कि इस पूरे मामले को उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा सभी आठ पदों पर नियुक्तियों को निरस्त कर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पुनः भर्ती की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रोजगार देने के बजाय अपने मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों तक ही अवसर सीमित कर रही है। प्रदेश का बेरोजगार युवा इस अन्याय को देख रहा है और आने वाले समय में इसका लोकतांत्रिक जवाब अवश्य देगा।

शिमला

भूस्खलन व फ्लैश फ्लड संभावित क्षेत्रों से रहें दूर

मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट के साथ लोगों के लिए विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की है। विभाग के अनुसार बहुत भारी बारिश के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन, मलबा गिरने, भूमि धसने और अचानक बाढ़ आने की आशंका काफी अधिक रहेगी। नदियों, खड्डों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है तथा निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। कमजोर भवनों को नुकसान पहुंचने, बागवानी और खड़ी फसलों के प्रभावित होने, सड़कों पर फिसलन और कम दृश्यता के कारण वाहन दुर्घटनाओं तथा लंबा जाम लगने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड संभावित क्षेत्रों से दूर रहने, नदी-नालों के किनारे नहीं जाने, ट्रैकिंग नहीं करने, गैर जरूरी यात्रा टालने, खुले में गतिविधियां सीमित रखने और प्रशासन की ओर से जारी मौसम व यातायात संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है।

ऊंचाई वाले इलाकों में मौनसून कमजोर पड़ने से अच्छी बारिश नहीं हुई थी, जिससे उमस बढ़ गई थी। अब मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी।

बारिश के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सबसे

कम न्यूनतम तापमान लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद नारकंडा में 14.2 डिग्री, केलांग में 15.0 डिग्री, कल्पा में 17.0 डिग्री, शिमला में 18.0 डिग्री, कसौली में 19.8 डिग्री, पालमपुर में 20.0 डिग्री, सोलन में 21.0 डिग्री और मनाली में 21.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

नशा तस्करों के नेटवर्क व अवैध संपत्ति पर कसेगा शिकंजा एसपी ने एनडीपीएस मामलों में बैकवर्ड लिंकेज से मुख्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिला पुलिस की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, महिलाओं से जुड़े अपराध, संपत्ति संबंधी मामलों और साइबर अपराधों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को लॉबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने और गंभीर मामलों में जांच की गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में केवल बरामदगी तक सीमित नहीं रहने, बल्कि पूरे नेटवर्क तक पहुंचने और अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित बैठक में जिले के सभी राजर्षाजित अधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुशासित और पेशेवर कार्यशैली अपनाने, पुलिस वर्दी और अपने दायित्वों पर गर्व करने तथा लोगों को संवेदनशील और प्रभावी पुलिस सेवा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करने का आह्वान किया।

बैठक में जून महीने के दौरान जिले में दर्ज अपराधों और उनके खत्यानों की विस्तार से समीक्षा की गई। एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में प्रभावी जांच, बेहतर डिटेक्शन, बैकवर्ड लिंकेज



के माध्यम से बड़े नेटवर्क तक पहुंचने और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वित्तीय जांच को प्राथमिकता देते हुए मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज करने और जरूरत पड़ने पर पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत निवारक कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया।

बैठक के दौरान महिलाओं से जुड़े अपराधों की जांच में संवेदनशील और पीडित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर विशेष बल दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे मामलों में

त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही लॉबित मामलों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निपटारे के निर्देश भी दिए गए। संपत्ति संबंधी अपराधों, विशेषकर चोरी और सेंधमारी के मामलों में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, चोरी गए सामान की बरामदगी और मामलों के शीघ्र खुलासे पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा साइबर पेड्रोलिंग को और प्रभावी बनाने, सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों पर लगातार निगरानी रखने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात्रि गश्त, नाकाबंदी और अन्य निवारक उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

अंतरराज्यीय चिट्ठा नेटवर्क का पर्दाफाश, दो सप्लायर गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस ने चिट्ठा (हेरोइन) तस्करी के दो अलग-अलग मामलों की जांच में अंतरराज्यीय ड्रा सप्लायर नेटवर्क का खुलासा करते हुए राजस्थान और पंजाब से दो सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट और बैंक खातों की जांच के आधार पर सप्लायर चैन तक पहुंच बनाई। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ तक फैला हुआ था।

पहला मामला 15 मार्च का है। रोहड़ पुलिस ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति से नौ ग्राम चिट्ठा बरामद किया था। इस मामले में रोहड़ निवासी 29 वर्षीय सार्थक सूद को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान मोबाइल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट और बैंक लेन-देन की पड़ताल की गई, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश निवासी अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। पृष्ठगछ में सामने आया कि वह चूरू (राजस्थान) निवासी वासु उर्फ हर्ष

सिंघानिया के साथ मिलकर तस्करी नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने 15 जुलाई को वासु को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि बरामद चिट्ठे की सप्लायर के बदले वासु के खाते में 18 हजार रुपये जमा हुए थे। इसके अलावा उसके खाते में लाखों रुपये के अन्य संदिग्ध लेन-देन भी सामने आए हैं। पुलिस अब अन्य आरोपियों और अवैध संपत्तियों की जांच कर रही है।

दूसरे मामले में कोटखाई पुलिस ने तीन जुलाई को करीब 64 ग्राम चिट्ठा बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। डिजिटल जांच के आधार पर पुलिस ने मोहाली निवासी अमित महेव को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया।

एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक बैकवर्ड लिंकेज जांच के आधार पर 58 मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है और 48 अंतरराज्यीय ड्रा नेटवर्क का खुलासा किया गया है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क और आर्थिक लेन-देन की जांच लगातार जारी है।

पहल पीडीएस को पारदर्शी बनाने की कवायद, उपायुक्त ने 10 दिन में दुकानों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए आदेश

उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार बदलेगा राशन सिस्टम

भारतेन्दु संवाददाता, अनिल कुमार शर्मा, शिमला। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला सार्वजनिक वितरण समिति और जिला स्तरीय सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने, उचित मूल्य की दुकानों की कार्यप्रणाली और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त ने सभी फूड इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध खाद्य वस्तुओं की जानकारी जुटाएं और उपभोक्ताओं से फीडबैक लें। इसके लिए अगले दस दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। ऐसे में



सभी रिपोर्टों को एकत्रित कर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को भेजा जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं की वास्तविक जरूरतों के अनुसार राशन दुकानों में सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला के कुछ क्षेत्रों में कई प्रकार की दालों की मांग कम है, जबकि कुछ अन्य दालों की आवश्यकता अधिक है। ऐसे में

उपभोक्ताओं की राय के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी, जिससे उचित मूल्य की दुकानों में लोगों की पसंद और जरूरत के अनुसार खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बैठक में स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिला में दो उचित मूल्य की दुकानों का

संचालन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इनमें चिड़गांव के छआरा क्षेत्र और चौपाल तहसील के शिलावणी गांव की दुकानें शामिल हैं। उन्होंने अन्य स्वयं सहायता समूहों से भी इस क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया।

बैठक में नई उचित मूल्य दुकानों के संचालन संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। जुब्बल, चौपाल

उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र धीमान सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी कर पात्र उपभोक्ताओं को निबांध और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

आदमपुर फ्लाईओवर के लिए 257 करोड़ का भेजा प्रस्ताव

पंजाब सरकार ने केंद्र को विस्तृत अनुमान मेजा, मंजूरी मिलते ही वर्षों से रुका निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने की उम्मीद

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

जालंधर-होशियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-3) पर लंबे समय से रुकी आदमपुर फ्लाईओवर परियोजना को दोबारा गति देने की दिशा में पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के किलोमीटर 11.400 से 29.200 तक शेष चार-लेन सड़क और पक्के शोल्डर के निर्माण के लिए 257.32 करोड़ रुपये का विस्तृत अनुमान (डिटेल्ड एस्टीमेट) तैयार कर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इस कदम से वर्षों से लंबित परियोजना के जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी है।

जानकारी के अनुसार यह विस्तृत अनुमान राष्ट्रीय राजमार्ग सफ़िल, अमृतसर के मुख्य अभियंता द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद पंजाब सरकार ने इसे केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद शेष निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जा

सकेगा, जिससे जालंधर और होशियारपुर के बीच आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक होगा।

आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं आदमपुर हलका ईंचार्ज पवन टीनू ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जून के पहले सप्ताह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान आदमपुर फ्लाईओवर परियोजना का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। मुख्यमंत्री ने इसे जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना बताते हुए प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देकर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का आग्रह किया था।

पवन टीनू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देगी, जिससे लंबे समय से रुकी परियोजना का निर्माण कार्य फिर से



शुरू हो सकेगा। उनके अनुसार फ्लाईओवर बनने से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से माल परिवहन आसान होगा, यात्रा का समय कम होगा और दुर्घटनाओं की संभावना भी घटेगी। उन्होंने बताया कि आदमपुर फ्लाईओवर परियोजना का निर्माण

सड़क और यातायात संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ू।

आदमपुर की रणनीतिक दृष्टि से भी विशेष महत्ता है। यहां भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण एयरबेस स्थित है, जहां से देश की सुरक्षा से जुड़े कई अहम अभियान संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा आदमपुर में हवाई अड्डा भी संचालित है, जहां से बड़ी संख्या में यात्री नियमित रूप से हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे में इस मार्ग का बेहतर और सुरक्षित होना राष्ट्रीय सुरक्षा तथा नागरिक सुविधाओं दोनों के लिए आवश्यक माना जा रहा है।

पवन टीनू ने यह भी बताया कि परियोजना बंद होने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को लगातार विभिन्न स्तरों पर उठाया। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई 2025 को वे तीन अन्य सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले थे और आदमपुर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराने की मांग रखी थी।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जिला बोर्ड की सेवा भी पेंशन लाभ में होगी शामिल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि जिला बोर्ड के अधीन दी गई सेवा को केवल इस आधार पर पेंशन लाभ से बाहर नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी ने उस अवधि में कान्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (सीपीएफ) में अंशदान नहीं किया था। जस्टिस हरकेश मनुजा ने पंजाब सरकार की दूसरी अपील खारिज करते हुए निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा। मामला लुधियाना के हरदयाल सिंह का था, जिन्होंने 1953 से 1957 तक जिला बोर्ड के स्कूलों में सेवा दी और बाद में सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। सरकार ने उनकी पूर्व सेवा को पेंशन में नहीं जोड़ा था। हाई कोर्ट ने कहा कि 1961 के नियम इस मामले पर लागू नहीं होते और उस समय सीपीएफ अंशदान पेंशन की अनिवार्य शर्त नहीं था।



पेंशन अधिकारों पर हाई कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन एक कर्मचारी का वैधानिक और अर्जित अधिकार है, जिसे तकनीकी आधारों पर सीमित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी वर्षों तक नियमित रूप से सेवा देता है और बाद में उसकी सेवाएं सरकार में समाहित हो जाती हैं, तो उसकी पूर्व सेवा अवधि को भी उचित परिस्थितियों में पेंशन निर्धारण के लिए माना जाना चाहिए। केवल इस आधार पर कि उस समय कर्मचारी ने कान्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (सीपीएफ) में अंशदान नहीं किया, उसे पेंशन लाभ से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई नियम या प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि संबंधित अवधि में सीपीएफ की सदस्यता पेंशन के लिए अनिवार्य थी। इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने जिला बोर्ड, पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों में सेवा देने के बाद सरकारी विभागों में कार्य किया और सेवानिवृत्ति के समय उनकी पूर्व सेवा को नजरअंदाज कर दिया गया।

विकास कार्यों के समर्थन पर मनीष तिवारी बोले-राजनीति से ऊपर रखा जनहित

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

सांसद मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति को लेकर उठ रहे सवालों पर विस्तृत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा विकास को दलगत राजनीति से ऊपर रखा है। उनका कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व जनता के हितों को रक्षा करना और क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों का समर्थन करना होता है। इसी सोच के तहत उन्होंने प्रधानमंत्री के विकास संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया।

इंटरनेट मीडिया पर जारी अपने बयान में मनीष तिवारी ने कहा कि 24 अगस्त 2022 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू चंडीगढ़ स्थित डॉ. होमी भाभा कैसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (टाटा मेमोरियल सेंटर) का उद्घाटन किया था, तब वह श्री आनंदपुर साहिब से सांसद थे। क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल



प्रदेश और चंडीगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों के हजारों कैसर मरीजों के लिए आधुनिक उपचार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इससे मरीजों को सुधार होगा, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। कि किसी राजनीतिक संदेश का प्रतीक।

मनीष तिवारी ने कहा कि 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ और उनके पूर्व संसदीय क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से जुड़ी कई महत्वपूर्ण विकास

परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से सड़क, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार होगा, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। कि किसी राजनीतिक संदेश का प्रतीक।

तिवारी ने अपने 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते

बहन के इलाज के लिए जुटाए एक लाख रुपए पीजीआई के बाहर चोरी

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

शहर के पीजीआई परिसर के बाहर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ब्रेन हेमरेज से पीड़ित बहन की जान बचाने के लिए रिश्तेदारों और परिचितों से उधार लेकर इलाज का इंतजाम करने वाले एक युवक की जेब से एक लाख रुपये चोरी हो गए। वारदात उस समय हुई, जब वह पूरी रात को भागदौड़ और मानसिक तनाव के बाद पीजीआई के इमरजेंसी वार्ड के बाहर सो गया था। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और बहन की सर्जरी भी फिलहाल टालनी पड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार पीड़ित गौख अपनी 23 वर्षीय बहन पूजा को ब्रेन हेमरेज होने के बाद इलाज के लिए पीजीआई लेकर आया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद तत्काल ऑपरेशन कराने की सलाह दी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए इलाज का खर्च जुटाना आसान नहीं था। गौख ने रिश्तेदारों, दोस्तों



और परिचितों से हाथ जोड़कर मदद मांगी और करीब डेढ़ लाख रुपये उधार लेकर किसी तरह इलाज की राशि का इंतजाम किया।

गौख ने बताया कि दिनभर अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने और बहन की देखभाल में व्यस्त रहने के बाद वह रात को इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही सो गया। इलाज के लिए रखी गई नकदी उसने अपनी जेब में सुरक्षित रखी थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो जेब से एक लाख

रुपये गायब थे। यह देखकर उसके होश उड़ गए। जिस रकम के सहारे बहन का ऑपरेशन होना था, वह चंद घंटों में चोरी हो चुकी थी। रुपये चोरी होने के कारण बहन की सर्जरी फिलहाल टालनी पड़ी है। परिवार का कहना है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से लोगों से उधार लेकर रकम जुटाई थी, लेकिन अब दोबारा इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करना बेहद कठिन हो गया है। परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों तरह के संकट से गुजर रहा है।

वीजा के नाम पर ठगी, इमिग्रेशन कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ के सेक्टर-34ए स्थित एक इमिग्रेशन कंपनी के खिलाफ वीजा दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। एनआरआई थाना मोहाली ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एनआरआई विंग) पंजाब के आदेश पर दोबारा जांच करने के बाद कंपनी और उससे जुड़े आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता गुरदीप सिंह ने आरोप लगाया कि अवोक वीजा कोर्ट नामक इमिग्रेशन कंपनी ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सब क्लॉस-482 वीजा दिलाने का भरोसा दिया था। कंपनी ने वीजा प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर उनसे करीब ढाई लाख रुपये लिए, लेकिन तय सेवाएं उपलब्ध नहीं कराईं। शिकायतकर्ता



का कहना है कि भुगतान करने के बावजूद न तो वीजा प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और न ही आवेदन की स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी दी गई। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी।

प्रारंभिक जांच के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। समझौते के तहत कंपनी की ओर से शिकायतकर्ता को 1.70 लाख रुपये के लौटाने के लिए यस बैंक का एक चेक दिया गया। हालांकि जब गुरदीप सिंह ने उक्त चेक बैंक में

जमा कराया तो वह बाउंस हो गया। चेक अनादरित होने के बाद शिकायतकर्ता ने समझौते को समाप्त मानते हुए अपनी पहले बंद की गई शिकायत को दोबारा खोलने और आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

इसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एनआरआई विंग, पंजाब के निर्देश पर मामले की दोबारा जांच कराई गई। जांच के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया गया।

जीरकपुर गोशालाओं में लावारिस पशुओं के लिए जगह की कमी

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। नगर

परिषद की ओर से शहर को लावारिस पशुओं से मुक्त करने और सड़क हादसों पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत बड़ी संख्या में लावारिस पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में भेजा जा रहा है, लेकिन अब नगर परिषद के सामने पशुओं को रखने की व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो गई है।

◆ गोशालाओं में 800 पशुओं से बड़ी जगह की समस्या



मगर क्षेत्र की गोशाला में पहले से ही करीब 800 लावारिस पशु मौजूद हैं। यह संख्या दोनों गोशालाओं की निर्धारित क्षमता के लगभग बराबर पहुंच चुकी है। ऐसे में योजना पकड़ जा रहे नए पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त स्थान की जरूरत

बन सकता है। गोशालाओं में अतिरिक्त शेड की कमी के चलते पशुओं की देखभाल प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है। नगर परिषद अब गोशालाओं के विस्तार और अतिरिक्त सुविधाएं विकसित करने की योजना बना रही है।

हथगोला मामले में नाबालिग को जमानत हाईकोर्ट ने सुधार और पुनर्वास पर दिया जोर

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरदासपुर में एक घर के बाहर हथगोला फेंकने के मामले में गिरफ्तार नाबालिग को जमानत देते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कम उम्र के बच्चों पर इंटरनेट मीडिया और इंटरनेट पर उपलब्ध हिंसक व आपराधिक सामग्री का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे मामलों में केवल दंडात्मक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय किशोर के सुधार और पुनर्वास की संभावना को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मामले के अनुसार, आरोप है कि नाबालिग ने अपने एक साथी के साथ मिलकर गुरदासपुर में एक मकान के बाहर हथगोला फेंका था। इस घटना में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई, लेकिन विस्फोट से संगीत की नुकसान पहुंचा। पुलिस जांच के दौरान किशोर को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया गया था, जहां वह पिछले करीब छह महीने से रह रहा था।

जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय



कानून का मूल उद्देश्य बच्चों को केवल दंडित करना नहीं, बल्कि उनका सुधार कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना है। अदालत ने माना कि इंटरनेट मीडिया और डिजिटल मंचों पर उपलब्ध हिंसक तथा आपराधिक सामग्री कई बार कम उम्र के बच्चों को गलत दिशा में प्रभावित कर सकती है। ऐसे में प्रत्येक मामले को नुकसान उसकी परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि जमानत मिलने के बाद किशोर न्याय

प्रक्रिया से भाग सकता है, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा या दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होगा। इसलिए उसे अनिश्चित अवधि तक बाल सुधार गृह में रखना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट ने नाबालिग को उसके अभिभावक की निगरानी में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही अभिभावकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि किशोर किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हो तथा जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अदालत के सभी निर्देशों का पालन करे।

की सराहना करते हुए इसे न्यायिक ढांचे की मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी पार्किंग क्षमता बढ़ाई जाए, अधिकवक्ताओं के लिए नए चैंबर बनाए जाएं तथा आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

